<u>भंडारागार आधारभूत सुविधा निधि (WIF)2014- 15</u>

कृषि जिंसों के भंडारण के लिए आधारभूत्त सुविधाओं के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2014-15 के बजट में रु. 5000 करोड़ नाबार्ड को आबंटित किए गए. इसके उपरांत भारतीय रिजर्व बैंक ने नाबार्ड में भंडारागार आधारभूत सुविधा निधि(डब्ल्यूआईएफ 2014-15) की स्थापन के लिए दिशानिर्देश जारी किए. इस निधि से भंडारागारों, साइलो, शीत भंडारगृहों और अन्य कोल्ड चेन संरचनाओं के निर्माण के लिए <u>सार्वजनिक और निजी क्षेत्र</u> को ऋण प्रदान करने की व्यवस्था है.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के पारित होने और पूरे देश में कृषि जिंसों के वैज्ञानिक भंडारण क्षमता की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डब्ल्यूआईएफ का उपयोग किया जाएगा.यह उल्लेख है कि इस निधि से पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों तथा खाद्यान्न की कमी वाले राज्यों में प्रस्तावित परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी.

इस निधि की मुख्य-मुख्य बातों का विवरण निम्नानुसार है:

1	पात्र संस्थान / निकाय	• राज्य सरकार • राज्य/केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले/ से सहयाता प्राप्त निकाय, सहकारी संस्थाएं, सहकारी संघ, कृषक उत्पादक संगठन, कृषक समूहों के संघ, पीपीपी मोड के तहत गठित एसपीवी आदि . • पैक्स/सहकारी विपणन समितियां, या समकक्ष संस्थान • कारपोरेट/कंपनी/ एकल उद्यमी आदि
2	शामिल गतिविधियां	कृषि और सहबद्ध क्षेत्र के उत्पादों के भंडारण के लिए संरचनाओं के निर्माण संबंधी परियोजनाओं (न्यूनतम समग्रतः 5000 मीट्रिक टन क्षमता) के साथ-साथ निम्नलिखित के निर्माण के लिए ऋण प्रदान किए जाएंगे: क. वेयरहाउस ख. साइलो ग. कोल्ड स्टोरेज, वातानुकूलित स्टोर, अन्य कोल्ड चेन संरचना, पैक हाउस/ इंटीग्रेटेड पैक हाउसों, रीफ़र वैन, बल्क कूलर्स, एकल क्विक फ़्रोजन इकाइयों, चीलिंग / फ्रीजिंग संरचनाओं आदि के लिए वर्तमान भंडारण संरचना परियोजनाओं के आधुनिकीकरण/ उन्नयन से संबंधी प्रत्येक प्रस्ताव को गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा, यदि इससे वैज्ञानिक तरीके से रखरखाव को बढ़ावा मिले / अतिरिक्त क्षमता का निर्माण हो.

		(सरकार / सरकार के स्वामित्व वाले कारपोरेशनों की परियोजनाओं के लिए न्यूनतम क्षमता की शर्त नहीं है)
3	डब्ल्यूडीआरए /एनसीसीडी के मानदंडों के साथ एकरूपता	यह उल्लेख है कि केवल ऐसे शुष्क और आद्र भंडारण परियोजनाओं को ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे जो आधारभूत सुविधा विकास और नियामक प्राधिकारी (डब्ल्यूडीआरए) / कोल्ड चेन विकास के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीसीडी) द्वारा निर्धारित मानदंडों / मानकों के अनुरूप होंगे. परियोजना पूरी होने के बाद उधारकर्ताओं को इस आशय का एक शपथ पत्र देना होगा कि वे भंडारण संरचना के लिए डब्ल्यूडीआरए से मान्यता /पंजीकरण प्राप्त करेंगे / कोल्ड चेन संरचना के लिए एनसीसीडी द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करेंगे.
4	प्राथमिकता क्षेत्र	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के पारित होने और पूरे देश में कृषि जिंसों के वैज्ञानिक भंडारण क्षमता की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस निधि के तहत आबंटित राशि का उपयोग निम्नलिखित गतिविधियों के लिए किया जाएगा : • खाद्यान्नों की खरीद के कार्य में लगी एजेंसियों यथा एफसीआई (पीईजी योजना सहित), सेंट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, राज्य सरकार के विभाग/ एजेंसियाँ , एसडब्ल्यूसी आदि. • पंचायतें, पैक्स और अन्य सहकारी समितियों (वर्तमान वेयर हाउसों के आधुनिकीकरण/ पुनरुद्धार /मरम्मत सहित) को दिए जाएंगे ताकि किसान अपने उत्पादों का भंडारण कर सकें और कटाई के उपरांत रियायती दर पर ऋण प्राप्त कर सकें. • सार्वजनिक वितरण प्रणाली(पीडीएस) और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए राज्य के नागरिक आपूर्ति विभाग /कारपोरेशनों को उपलब्ध कराये जाएंगे. • खाद्यान्नों और अन्य कृषि पण्यों यथा दलहन, तेलहन, कपास, मसालों और शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं यथा सब्जी , फल, डेयरी / पौल्ट्री /मछली उत्पादों के भंडारण हेतु निजी क्षेत्र की कंपनियों/ कारपोरेशनों को उपलब्ध कराये जाएंगे . यह उल्लेख है कि पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों तथा

		कम खाद्यान्न उत्पादन वाले सभी राज्यों में प्रस्तावित परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी.
5	सार्वजनिक क्षेत्र को ऋण	राज्य सरकार, राज्य सरकार की स्वामित्व वाली एजेंसियों /प्रायोजित एजेंसियों और पंचायतों (राज्य सरकार के माध्यम से) को ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) के लिए निर्धारित वर्तमान नियमों के अनुसार ऋण उपलब्ध कराये जाएंगे.
6	निजी क्षेत्र को ऋण	निजी क्षेत्र और राज्य सरकार की स्वामित्व वाली एजेंसियों /प्रायोजित एजेंसियों , जिनके लिए गारंटी उपलब्ध नहीं है, को अनुबंध I में इंगित शर्तों पर प्रत्यक्ष ऋण उपलब्ध कराये जाएंगे.
7	कार्यान्वयन अवधि	इसका कार्यान्वयन वर्ष 2014-15 के दौरान किया जाएगा

(इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी / स्पष्टीकरण के लिए dsm@nabard.org / nabardwarehouse@gmail.com पर ईमेल करें

अनुबंध I

निजी क्षेत्र को प्रत्यक्ष ऋण - ऋणीकरण की शर्तें

उधारकर्ता के प्रकार	अधिकतम ऋण (टीएफओ का %)	ऋण की अवधि (वर्ष)	ब्याज दर (% वार्षिक)
भारत सरकार की स्वामित्व वाली / प्रायोजित एजेंसियां, पीपीपी व्यवस्था के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए गठित एसपीवी, एफपीओ, कृषक संघ, शीर्ष विपणन बोर्ड आदि	95	07	पीएलआर*+जोखिम प्रीमियम
		7 वर्ष से अधिक	पीएलआर+जोखिम प्रीमियम + टेनर प्रीमियम
सहकारी संस्थाएं (और उनके संघ), एपीएमसी या इसी प्रकार के अन्य संस्थान	95	07	पीएलआर+जोखिम प्रीमियम
		7 वर्ष से अधिक	पीएलआर+जोखिम प्रीमियम + टेनर प्रीमियम
निजी कंपनियाँ /कार्पोरेट्स/ एकल उद्यमी आदि	75	07	पीएलआर+जोखिम प्रीमियम
		7 वर्ष से अधिक	पीएलआर+जोखिम प्रीमियम + टेनर प्रीमियम

*पीएलआर नाबार्ड की मुख्य ब्याज दर है